

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
चतुर्थ तल, ब्लॉक - 2, सेक्टर 10-ए,
कर्मयोगी भवन, गांधीनगर (गुजरात)



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)

ई-मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com
संख्या : गुज/पोर/चू. प.-308

दिनांक : 22.11.2018

प्रेषित : Sh. Nathabhai Savdasabhai Agath
Indira Nagar, Near Birla Colony
Distt.-Porbandar-360575, Gujarat
E mail: ashvinkumarzala@gmail.com

विषय : गुजरात राज्य के जिले पोरबंदर, तालुका रानावाव, निकट ग्राम दौलतगढ में स्थित आपकी दौलतगढ चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 2.00 हैक्टेयर (सर्वे नं. 265/पी) हेतु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन। (MINE CODE 38GUJ21088)

महोदय,

इस कार्यालय के डॉ. एन. के. माथुर, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 20.04.2018 को किये गये निरीक्षण में पाया गया था कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया और उनके निराकरण के लिये आपको 45 दिन का समय देते हुए इस कार्यालय के समसख्यक रजिस्टर्ड ए. डी. उल्लंघन पत्र दि. 12.06.2018 द्वारा आपको सूचित किया गया था:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
33	The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along with a print copy of the Surface Geological plan & section on or before the 30 th June of every year. <i>In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan & section for the year 2016-2017 maintained under rule 32 of MCDR, 2017 to this office till date.</i>
45(5)(b) & 45(5)(c)	The holder of a mining lease shall submit <u>online returns</u> in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner. (b) A monthly return which shall be submitted before the 10 th day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form. <i>In your case, you have not submitted the online monthly returns from January 2011 onwards to till date to this office till. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.</i> (c) An annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form. <i>In your case, you have not submitted the online Annual returns from 2011-12 onwards to till date to this office till. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.</i>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उल्लंघन पत्र जारी होने की तिथि से 45 दिन समाप्त होने के बाद भी आपने उल्लंघन पत्र कोई जवाब नहीं दिया है और इन सभी नियमों का उल्लंघन यथावत जारी है।
03. यह आपके पुनः ध्यान में लाया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपलना नहीं होने पर खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है / आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाए बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है।
03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाता है।
- 05 कृपया नोट करें कि इस संदर्भ में आपको और कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा।

भवदीय

(एस.एम.गिरहे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं/प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
2. कमिश्नर, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, गुजरात सरकार, ब्लोक-1, 7-फ्लॉर, उधोग भवन, गांधीनगर।
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो